

आरोपी अशोक कुमार सहित श्री के.के.शुक्ला अधिवक्ता उपस्थित। उन्होंने अपने वकील पत्र के साथ उपस्थित होकर आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 44(2) जा.फौ. का पेश किया।

आवेदन पर सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। परिवादी विद्युत कंपनी की ओर से आरोपी के विरुद्ध विद्युत उर्जा चोरी की धारा 135 विद्युत अधिनियम के तहत परिवाद पेश किया गया है जिसमें आरोपी की आवश्यकता है। अतः प्रस्तुत आवेदन स्वीकार कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है।

आरोपी की ओर से आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा.फौ. पेश किया। नकल परिवादी अधिवक्ता को दी गयी।

आवेदन पर उभयपक्ष को सुना गया।

परिवादी अधिवक्ता द्वारा आवेदन निरस्त करने की प्रार्थना की है।

आवेदक की ओर से आवेदन में निवेदन किया है कि उसके द्वारा कोई विद्युत उर्जा चोरी नहीं की है। परिवादी द्वारा झूठा परिवाद पेश किया गया है। उसे परिवाद पेश होने की कोई पूर्व सूचना नहीं थी। सूचना मिलते ही वह आज स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुआ है। उसे जमानत पर छोड़ा जावे।

प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी के विरुद्ध विद्युत चोरी की राशि 36805 रुपए की वसूली हेतु परिवाद पेश किया गया है। आरोपी आज स्वयं उपस्थित हुआ है। आरोपित अपराध आजीवन कारावास से दंडित नहीं है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः आरोपी की ओर से पेश जमानत आवेदन बाद विचार इस निर्देश की साथ स्वीकार किया जाता है कि आरोपी नियत पेशियों पर उपस्थित होने बावत् रुपए 15000 की सक्षम जमानत एवं समान राशि का मुचलका पेश होने पर उसे जमानत पर छोड़ा जावे।

प्रकरण आरोप तर्क हेतु दिनांक 23.10.17 को पेश हो